प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एम.ए.सी. संख्या 1426/2016

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा प्रबंधक, मंडल कार्यालय, इटीवारी बाजार, न्यू गंज, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ ..... बीमाकर्ता,

..... अपीलार्थी/अनावेदक सं. 3

विरुद्ध

1 - खिकरामसाहू पिता महाजन साहू, आयु लगभग 60 वर्ष

2 - श्रीमती प्रेमबाई साहू पिता खिकराम साहू, आयु लगभग 55 वर्ष

3- हेमलाल साहू पिता खिकराम साहू, आयु लगभग 25 वर्ष

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 तक का निवास- गाँव-साल्हे,थाना और तहसील-सारंगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

4 - फुलचंद चौहान पिता होलसाई चौहान, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी- तंगेरघाट, पुलिस थाना तमनार, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

5 - धनंजय सिंह पिता रामबदन सिंह, निवासी गांव-कोंडतरई, चौकी-जूट मिल, रायगढ़, तहसील पुसोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। ..... मालिक, (4 और 5 संख्यांकित व्यक्ति अनावेदक हैं)

..... उत्तरवादी(गण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिए	:	श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता की ओर से सुश्री प्रणोति दास उपस्थित
उत्तरवादी संख्या 1 से 3 के लिए	:	श्री राघवेंद्र प्रधान और शिखर शर्मा, अधिवक्ता की ओर से सुश्री प्राची सिंह उपस्थित
उत्तरवादी संख्या 4 और 5 के लिए	:	तामीली उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल)
पीठ पर पारित निर्णय

दिनांक 07/03/2025
सुनवाई की।

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम, 1988) की धारा 173 के अंतर्गत दायर बीमाकर्ता की यह अपील, प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा दावा प्रकरण संख्या 11/2015 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 28.06.2016 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी/बीमा कंपनी को प्राथमिक रूप से प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।इस अपील के पक्षकारों को विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष उनके विवरण के अनुसार यहाँ उल्लिखित किया गया है।

2. दावा याचिका के अभिवचनों के अनुसार, दिनांक 11.01.2014 को मृतक चतुर साहू अपनी मोटरसाइकिल से रायगढ़ से साल्हे गांव आ रहा था और रास्ते में कृषि उपज मंडी हाईवे रोड के पास पटेलपाली गांव के पास उसने वहां खड़ी बस जिसका पंजीयन संख्या सीजी/13/ए/8091 है (जिसे यहाँ आगे 'दुर्घटनाकर्ता बस' कहा जाएगा) को पीछे से टक्कर मार दी, जिसे उसके चालक/अनावेदक क्रमांक 1 ने उपेक्षापूर्ण रीती से पार्क किया था और इस टक्कर के कारण उसे लगी चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह विवाद में नहीं है कि दुर्घटना के समय, दुर्घटनाकर्ता वाहन का स्वामित्व अनावेदक संख्या 2/उत्तरवादी संख्या 4 के पास था और इसमें अनावेदक संख्या 3/अपीलार्थी द्वारा बीमाकृत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मृतक की मृत्यु के कारण, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 55,94,000/- रुपये के प्रतिकर की मांग करते हुए एक दावा याचिका दावेदारों/उत्तरवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 26 वर्ष थी और वह मोबाइल सेट की मरम्मत के रूप में काम करके प्रतिदिन 18,000/- रुपये कमा रहा था। अनावेदकों और विशेष रूप से

अपीलार्थियों/बीमाकर्ता द्वारा दावे का विरोध किया गया था कि दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी का उल्लंघन हुआ था।

4. विचारण के समापन के बाद, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया था कि दुर्घटना पूरी तरह से अनावेदक संख्या 1/चालक की ओर से उपेक्षा के कारण हुई थी; अपीलार्थी/बीमाकर्ता पॉलिसी का कोई उल्लंघन साबित नहीं कर सका, और अनावेदक संख्या 1 से 3 को संयुक्ततः और पृथक्ततः व्यक्तिगत रूप से प्रतिकर संदाय करने के लिए उत्तरदायी बनाते हुए, दावा आवेदन की तिथि से इसकी प्राप्ति तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावेदारों के पक्ष में 3,31,000/- रुपये का प्रतिकर निर्धारितऔर अधिनिर्णीत किया, परन्तु मुख्य रूप से अपीलार्थी/बीमाकर्ता को प्रतिकर के लिए उत्तरदायी माना। यह निर्णय उसे प्रतिकर संदत्त करने के के लिए उत्तरदायी बनाता है, जिसके लिए अपीलार्थी/बीमाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वानअधिवक्ताने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि दुर्घटनाकर्ता वाहन बस का बीमा अपीलार्थी/बीमा कंपनी के पास किया गया था, परंतु मृतक, जो उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीती से मोटरसाइकिल चला रहा था, ने स्वयं खड़ी बस को उसके पीछे की ओर से टक्कर मार दी, इसलिए मृतक पूर्णतः उपेक्षापूर्ण था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि दुर्घटनाकर्ता वाहन बस के पास दुर्घटना के समय वैध परमिट नहीं था, इसलिए, बीमा कंपनी को प्रतिकरके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादीसंख्या 1 से 3 के विद्वानअधिवक्ताने तर्क प्रस्तुत किया है कि दावेदारों/उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की थी। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि पुलिस ने अन्वेषण के बाद दुर्घटनाकर्ता वाहन बस के चालक के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 337, 304-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अंतिम रिपोर्ट दायर की है और बीमा कंपनी ने

पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए, अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित अधिनिर्णय न्यायसंगत और युक्तियुक्तहै और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंनेपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओंको सुना है और आक्षेपित अधिनिर्णय के साथ अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. जहाँ तक अपीलार्थी/बीमा कंपनी के इस तर्क का संबंध है कि दुर्घटना की तिथि को मृतक ने स्वयं लापरवाही की थी, यहाँ एडब्ल्यू 2 राधे साहू का कथनमहत्वपूर्ण है क्योंकि वह उस समय पिछली सीट पर सवार था। उनके कथन के अनुसार, उन्होंने दुर्घटना की तिथि को यह दुर्घटना देखी थी, जब वह और मृतक दोनों अपनी (मृतक की) मोटरसाइकिल पर अपने गांव की ओर आ रहे थे, उसी समय रात 8:30 बजे, एक डम्पर सामने से आया और सवार की आंखों पर उसकी रोशनी पड़ने के कारण, वे दुर्घटनाकर्ता वाहन बस के पिछले हिस्से से टकरा गए, जिसे उसके चालक ने उपेक्षापूर्ण रीती से पटेलपाली गांव के पास सड़क के बीच में खड़ा किया हुआ था और वह भी, उक्त बस के पिछले हिस्से में सुरक्षा के लिए कोई संकेतक/सिग्नल, रेडियम या कुछ भी नहीं था। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि पुलिस चौकी जूट मिल, जिला रायगढ़ की पुलिस ने उचित अन्वेषण के बाद, चालक/अनावेदक क्रमांक 1 के खिलाफ भार०दं०सं० की धारा 337 और 304-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अंतिम रिपोर्ट दायर की। एसएलपी (सी) संख्या 10351/2019 में दिनांक 25.02.2025 को निर्णीत 'रणजीत एवं अन्य विरुद्ध अब्दुल कायम नेब एवं अन्य' के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 4 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था : -

> "4. यह सुस्थापित विधि है कि एक बार अभियोग पत्र दायर होने के बाद और चालक को लापरवाही का दोषी ठहराए जाने के बाद, यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> साबित करने के लिए आगे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि बस चालक द्वारा बस को लापरवाही से चलाया जा रहा था। भले ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परीक्षण नहीं किया गया है, परन्तु यह बस चालक की उपेक्षा के कारण मृतक की मृत्यु को साबित करने के लिए घातक नहीं होगा।"

इस प्रकरण में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निस्संदेह, प्रकरण की जांच के बाद, पुलिस द्वारा चालक/अनावेदक के विरुद्ध उपेक्षापूर्ण रीती से वाहन खड़ी करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाकर्ता वाहन बस के चालक और स्वामी ने न तो स्वयं की परीक्षा की है और न ही दुर्घटना के तथ्य का खंडन करने के लिए किसी साक्षी का परीक्षण किया है। विद्वानअधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य की उचित रूप से विवेचना करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि अनावेदक संख्या 1/फुलचन्द ने दुर्घटनाकर्ता वाहन बस को लापरवाही से खड़ा किया था, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार (मृतक) उक्त बस से टकरा गया और दुर्घटना घटित हुई, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दुर्घटनाकर्ता वाहन बस के मालिक द्वारा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अगला तर्क भी अस्वीकार किये जाने योग्य है क्योंकि बीमा कंपनी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को साबित करने के लिए किसी साक्षी की परीक्षा की है और जब मामला दिनांक 25.06.2016 को अनावेदक के साक्ष्य के लिए नियत किया गया था, तब भी अनावेदकने अपनी ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा करने में रुचि नहीं दिखाई, इसलिए, विद्वानअधिकरण ने साक्ष्य के अधिकार को समाप्त कर दिया। अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर यह दायित्व था कि वह दुर्घटनाकर्ता वाहन बस के मालिक द्वारा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे।

10. पूर्वगामी विवेचना के लिए, मेरा अभिमत है कि विद्वत दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष हैं और मुझे इन निष्कर्षों में कोई अवैधता और विकृति नहीं मिलती है।

11. तदनुसार, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील, बिना किसी सार के होने के कारण, निरस्त किये जाने योग्य है और एतद्वारा निरस्त की जाती है।

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur